


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता-स्कूल शिक्षा के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकितानुसार आदेश जारी किये गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुए को निम्नांकित को एतद् द्वारा यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


क्रम	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	आदेश क्रमांक एवं दिनांक एवं स्थानान्तरण स्थान
1	निशा मीणा व्याख्याता- इतिहास	पौद्दार-जयपुर	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/वाणिज्य- इतिहास/ 2018 दिनांक 29.05.18 में क्रम संख्या 37, शिवदासपुरा- जयपुर से पहाडिया-फागी-जयपुर
2	किशना राम व्याख्याता- इतिहास	अरणाय-जालोर	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/वाणिज्य- इतिहास/ 2018 दिनांक 29.05.18 में क्रम संख्या 50 बा. सांचोर- जालोर से अरणाय-जालोर

शेष शर्तें उपर्युक्त मूल आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक: 1/3/19

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/वाणिज्य-इतिहास/ 2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 2 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग
- 5 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 7 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर